न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 22 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर राज0

वादी

बनाम

हनीफ पुत्र ईशाक जाति मेव निवासी टायरा तहसील कामाँ जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश बुन्देला वकील वादी

दिनांक :— 12 / 04 / 2023

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2678 / 0.19 हैक्टर किस्म चाही उत्तम बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 2678 / 0.19 में प्लॉटिंग (आवासीय / वाणिज्यक) प्रयोजनार्थ उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग में ली जा रही है। जिस हेतु प्रतिवादी ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नहीं कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने के योग्य नहीं है। प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी व अन्य लोग भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है। जिससे भविष्य में कृषि सम्बन्धी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। भविष्य में क्षेत्र के विकास में बाधक होगी। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 2678 / 0.19 भूमि पर बिना किस्म संपरिवर्तन आदेश के अवैध प्लॉटिंग (आवासीय / वाणिज्यक) व्यवसाय निर्माण किया हुआ है। इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी मय वकील न्यायालय में उपस्थित आया । दिनांक 23 / 03 / 2022 को जवाब इस आशय का पेश किया कि वाद कर्ता लैण्ड होल्डर तथा प्रतिवादी खातेदार है। प्रतिवादी ने धारा 177 आर0टी0 एक्ट का कोई उल्लघन नहीं किया है जबकि

खातेदार ने केवल जमीन के कटाव को रोकने व कृषि सुरक्षा हेतु दीवार खींची है प्रतिवादी ने भूमि में कोई संपरिवर्तन नहीं किया है। जबकि आज भी मौके पर फसल है और प्लॉटिंग (आवासीय/वाणिज्यक) प्रयोजन नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा आराजी के स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे की कृषि कार्य में बाधा पैदा हो या अन्य किसी को भी कोई हानि हो प्रतिवादी ने केवल कृषि सुरक्षा हेतु दीवार सदभावना पूर्वक बनाई गई है तथा आज भी मौके पर आराजी में फसल खडी हुई है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा अन्तर्गत धारा 177 आर0टी.0 एक्ट खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया प्रतिवादी के द्वारा अपनी खातेदारी की जमीन (कृषि) खसरा नम्बर 2678/0.19 में प्लॉटिंग (आवासीय/वाणिज्यक) प्रयोजन में लाई जा रही है।

..............वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी आज कृषि भूमि के प्रयोग में लाई जा रही है तथा उक्त कृषि भूमि के कटाव को रोकने व कृषि सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार खींची गई है।

..............प्रतिवादी

3. **दादरसी** :– दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण दिनांक 08/04/2022 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 लखवीर सिंह, डी0डब्लू0 2 रविन्द्र , डी0डब्लू0 3 आमीन , डी0डब्लू0 4 रजाक, डी0डब्लू0 5 हारून, के शपथ पत्र पेश किये । वकील प्रतिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रतिवादी पेश ना करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का कैथवाडा प्रथम दिनांक 16/01/2023 पेश की है।

तहसीलदार पहाडी से आराजी के वर्तमान मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट ग्राम कैथवाडा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 2678/0.19 हैक्टर की हाल स्थिति का जायजा लिया गया । मौके पर उक्त भूमि का मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–78 स्थायी में प्रतिवादी हनीफ पुत्र ईशाक के नाम दर्ज रिकार्ड है मौके पर उक्त आराजी रकबा खाली पडा हुआ है तथा मौके पर किसी प्रकार के पत्थर पडे हुए नहीं मिले।

बहस वादी एवं वकील प्रतिवादी सुनी गई । हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया । पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 1 :– आया प्रतिवादी के द्वारा अपनी खातेदारी की जमीन (कृषि) खसरा नम्बर 2678/0.19 में प्लॉटिंग (आवासीय/वाणिज्यक) प्रयोजन में लाई जा रही है।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था तहसीलदार पहाडी तत्समय पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुये दावा पेश किया था । साक्ष्य के दौरान तहसीलदार पहाडी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादी ने उक्त विवादित आराजी पर प्लॉटिंग कार्य किया हो। अपितु प्रतिवादी ने विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत की है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मौके पर आराजी रकबा खाली पडा है तथा मौके पर किसी प्रकार के पत्थर पडे हुये नहीं मिले । वादी उक्त तनकी को सिद्ध करने असफल रहा है। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी आज कृषि भूमि के प्रयोग में लाई जा रही है तथा उक्त कृषि भूमि के कटाव को रोकने व कृषि सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार खींची गई है।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था । जबाब प्रतिवादी एवं विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी से यह बखूबी प्रमाणित है कि मौके पर आराजी खाली पडी हुई है एवं आराजी पर किसी प्रकार के पत्थर पडे हुये नहीं है। प्रतिवादी उक्त तनकी को सिद्ध करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में यह तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

दादरसी :– तनकी संख्या 1,2 वाहक प्रतिवादी निर्णित हो गई है । अतः वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। दावा वादी प्रमाणित नहीं होने के कारण काबिले खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी प्रमाणित न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner